राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका सं.16335/2024

गीतांजलि इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत पता 302 विनायक अपार्टमेंट, सेंट मैरी स्कूल के पास, फतेहपुरा उदयपुर - 313001 है, जरिए प्राधिकृत अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमीत अग्रवाल पुत्र श्याम सुंदर अग्रवाल, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी 4, आनंद विहार कॉलोनी, एम.एम. चौबे वार्ड, बरगवान कटनी, मध्य प्रदेश -483501 ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, आईटीओ वार्ड- 2(1), आयकर भवन, राजस्थान, सबसिटी सेंटर, सविना, उदयपुर, राजस्थान - 313001

----प्रत्युत्तरदाता

.....

याचिकाकर्ता(यों) की ओर से : श्री प्रकुल खुराना (जरिए वीसी)
श्री प्रणव भारद्वाज, अधिवक्तागण

प्रत्युत्तरदाता(ओं) की ओर से : श्री के.के. बिस्सा,
श्री जी.एस. चौहान, अधिवक्तागण

.....

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् संदीप शाह

आदेश

14/05/2025

माननीय श्री चंद्रशेखर, जे. के अनुसार

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता-गीतांजलि इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148ए(बी) के तहत जारी 26 मार्च 2024 के कारण

बताओ नोटिस को चुनौती देना चाहता है। इसके संबंध में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत पारित 16 अप्रैल 2024 के आदेश को भी चुनौती दी है।

2. याचिकाकर्ता-कंपनी रियल एस्टेट के कारोबार में लगी हुई है। इसका कर निर्धारण आय पर किया गया था और इसने 13 मार्च 2018 को कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत अपना संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया था। हालांकि, मेसर्स शाह कलर्ड एंड फ्लेवर स्पिरिट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, मेसर्स एससीएफएसएमपीएल) से प्राप्त धन के संबंध में इसे 26 मार्च 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस में कहा गया था कि मेसर्स एससीएफएसएमपीएल के साथ संव्यवहार को आयकर रिटर्न में स्पष्ट नहीं किया गया था और इसे याचिकाकर्ता-कंपनी की अप्रकटित आय माना गया था जो कर निर्धारण से बच गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता-कंपनी को उस संबंध में जानकारी और विवरण प्रस्तुत करने और अपनी आपत्तियां बताने के लिए कहा गया था कि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए पुनर्निर्धारण कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। याचिकाकर्ता-कंपनी के अनुसार, केवल एक दस्तावेज जिसका शीर्षक "सूचना दस्तावेज" है, जो डीडीआईटी (जांच), कोलकाता द्वारा साझा की गई एक संसूचना थी, जिसे उक्त कारण बताओ नोटिस के साथ प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता-कंपनी ने 11 अप्रैल 2024 को अपनी आपत्तियां दर्ज करके 26 मार्च 2024 के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। याचिकाकर्ता-कंपनी ने मेसर्स एससीएफएसएमपीएल से संबंधित पिछले वर्षों के निर्धारण आदेशों सहित अभिलेख भी प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता-कंपनी के अनुसार, इसने कर निर्धारण अधिकारी को सूचित किया कि मेसर्स एससीएफएसएमपीएल के साथ इसका

संव्यवहार संपरीक्षित किए गए वित्तीय दस्तावेजों में विधिवत परिलक्षित हुआ है और भूमि के बदले अग्रिम के रूप में मेसर्स एससीएफएसएमपीएल से इसे 15,72,00,000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। याचिकाकर्ता-कंपनी इस बात से व्यथित है कि कर निर्धारण अधिकारी ने सुसंगत सूचनाएं और सामग्री उपलब्ध नहीं कराई, जिसके आधार पर मामले को पुनः खोलने का निर्णय लिया गया और उसकी आपत्ति को धारा 148ए(डी) के तहत 16 अप्रैल 2024 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता-कंपनी ने धारा 148(ए)(डी) के तहत पारित उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसकी आपत्तियों को कोई आधार बताए बिना खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने सी.बी.डी.टी. अधिसूचना सं.18/2022/एफ. सं.370142/16/2022-टीपीएल (भाग-I) दिनांक 29 मार्च 2022 का संदर्भ दिया है, जिसका शीर्षक "ई-असेसमेंट ऑफ इन्कम इस्केपिंग असेसमेंट स्कीम, 2022" है, जो पुनर्निर्धारण के लिए फेसलेस रीति से मामलों के स्वचालित आवंटन के माध्यम से नोटिस प्रदान करता है।

3. याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकुल खुराना ने दो मुख्य तर्क उठाए हैं, अर्थात् (i) धारा 148ए(बी) के तहत जारी किया गया नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि धारा 148ए(बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष कोई आधारभूत तथ्य नहीं था, और (ii) 16 अप्रैल 2024 का आदेश इतना अस्पष्ट है कि यह 11 अप्रैल 2024 के अपने जवाब में याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा उठाए गए आपत्ति का संज्ञान तक नहीं लेता है। याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्ति के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने उक्त उत्तर के पैरा सं.12, 15, 17 और 18 में याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा अपनाए गए विनिर्दिष्ट अभिमत को निर्दिष्ट किया है जो इस प्रकार है:

"12. यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि बढ़ी हुई समय-सीमा केवल उन परिस्थितियों में लागू होती है जहाँ अभिकथित निर्धारण से छुटी हुई आय आस्ति के रूप में दर्शाई गई हो। वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने विचाराधीन वर्ष के दौरान मैसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड से भूमि के एवज में 16,22,00,000/- का अग्रिम लिया है, जिसे रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरणों में विधिवत रूप से प्रकट किया गया है। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि भूमि के विरुद्ध अग्रिम की प्राप्ति कोई आस्ति नहीं है, बल्कि निर्धारिती का एक दायित्व है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जिसे आयकर रिटर्न के साथ दाखिल तुलनपत्र में "ट्रेडिंग लायबिलिटी" अनुसूची के तहत भी रिपोर्ट किया गया है।

15. यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्रवाई का आधार केवल उधार ली गई संतुष्टि पर है, जो इस तथ्य से सुस्पष्ट है कि इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्धारिती का सृजन सीमेंट ग्रुप से क्या संबंध है। इसके अलावा, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सर्वेक्षण के दौरान किस सामग्री की जांच की गई थी, जिसके आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्पिरिट मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी है, जबकि यह एक सक्रिय कंपनी है जिसे बाद में कानून के अनुपालन के अनुसार विलय कर दिया गया था। साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्प्रिट मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी अर्थात पैसिफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इस प्रकार, मेसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्प्रिट मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार और गुणावगुण रहित हैं। इसके अलावा अभिकथित जानकारी यह भी प्रदर्शित नहीं करती है कि सृजन सीमेंट मेसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्प्रिट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड से किस प्रकार संबंधित है। वैसे भी, अभिकथित जानकारी में सर्वेक्षण की तारीख का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके पास अधिनियम की धारा 148 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कोई भी जानकारी नहीं है, बल्कि आप संव्यवहार का सत्यापन और उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिसे इसके साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतएव, कृपया इसका मूल्यांकन किया जाए कि मात्र अग्रेषित जानकारी के आधार पर कार्रवाई करना, बिना अग्रेतर सत्यापन के, न्यायोचित नहीं है। अन्यथा भी, न्याय और समता के हित में, कर निर्धारिती के विरुद्ध आपके

सप्रयत्न द्वारा यदि कोई भी सामग्री भरोसा करने के लिए उपयोग की गई है, तो कृपया उसे कर निर्धारिती के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और कर निर्धारिती को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाए।

17. इस संदर्भ में, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि कर निर्धारिती ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है जिसमें साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्पिरिट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए 16,22,00,000/- रुपये के संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उक्त जानकारी अस्तित्वहीन/गलत है क्योंकि निर्धारिती द्वारा साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्पिरिट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए संव्यवहार का उसके द्वारा विधिवत विवरण दिया गया है और उक्त संव्यवहार बैंकिंग चैनल के माध्यम से विधिवत किया गया है तथा संपरीक्षित वित्तीय विवरणों और दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में भी प्रतिबिंबित है। कर निर्धारिती यह रेखांकित कर सकता है कि विचाराधीन वर्ष के दौरान, कर निर्धारिती द्वारा कुछ व्यावसायिक परियोजनाओं के संदर्भ में मैसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्पिरिट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड से 16,22,00,000/- रुपये की भूमि के एवज में अग्रिम लिया गया है। उक्त संव्यवहार की विधिवत रिपोर्ट की गई है और इसे नियमित बहियों में प्रकट किया गया है तथा यह संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ दाखिल की गई आयकर विवरणी में किए गए प्रकटन का हिस्सा है। यह राशि बाद के वर्षों में वापस चुका दी गई है। अतः, यह आरोप कि निर्धारिती ने समायोजन प्रविष्टि की है, आधारहीन और गलत है। इस संदर्भ में, समर्थनकारी खाता-बही विवरण, बैंक विवरण और पक्षों की पुष्टिकरण, हस्ताक्षरित समझौता, संपरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

18. यह भी निवेदन है कि इस बात का कोई आधार नहीं बताया गया है कि स्वयं आपके द्वारा इस तथ्य के विपरीत कि यहाँ क्या स्पष्ट किया गया है जो कि कर निर्धारिती के वित्तीय विवरण में विधिवत रिपोर्ट किया गया है और जिसके लिए समर्थनकारी दस्तावेज अभिलेख पर रखे गए हैं, 15,72,00,000/- रुपये का आंकड़ा कैसे लिया गया है, जो संव्यवहार की पहचान, साख और प्रामाणिकता को साबित करता है और तदनुसार संव्यवहार पूरी तरह से स्पष्ट है। साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्पिरिट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट

लिमिटेड, एक सूचीबद्ध कंपनी यानी पैसिफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्टेप-डाउन सहायक कंपनी है। उक्त कंपनी का निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विभाग द्वारा स्वयं अधिनियम की धारा 143(3) के तहत विधिवत निर्धारण किया गया है। इसलिए, यह आरोप कि कर निर्धारिती ने समायोजन प्रविष्टि की है, आधारहीन और किसी भी औचित्य से रहित है। अतः, गैर-मौजूद और गलत जानकारी/तथ्य के आधार पर जारी किए गए नोटिस को कृपया वापस लिया जाए।"

4. दूसरी ओर, राजस्व विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. बिस्सा ने तर्क दिया कि आयकर अधिनियम में यह पता लगाने के लिए एक सीमित जांच को अनुध्यात किया गया है कि कर योग्य आय निर्धारण से छूटी है या नहीं। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता-कंपनी की आपत्ति खारिज होने के बाद उसे कर निर्धारण कार्रवाई के दौरान अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रति-शपथपत्र में, राजस्व विभाग ने इस बात से इनकार किया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए(बी) के तहत नोटिस या धारा 148ए(डी) के तहत आदेश याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध बिना किसी सबूत के जारी किया गया था, जिसमें उससे आयकर रिटर्न दाखिल करने की मांग की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले मुख्य आयकर आयुक्त, उदयपुर से पूर्व अनुमति ले ली गई थी। राजस्व विभाग ने यह भी अभिवाक् किया कि आयकर अधिनियम, अधिकारिता निर्धारण अधिकारी और एनएफएसी के तहत इकाइयों के समवर्ती अधिकारिता को मान्यता देता है। राजस्व विभाग के अनुसार, धारा 144डी के उपबंधों पर एक नज़र डालने से समवर्ती अधिकारिता का यह पहलू स्पष्ट हो जाता है, जिसके तहत किसी मामले के अभिलेख निर्धारण कार्रवाइयां पूरी होने के बाद अधिकारिता निर्धारण अधिकारी को वापस हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। राजस्व विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. बिस्सा ने तर्क दिया कि किसी "विशिष्ट कर

निर्धारण वर्ष" के लिए "विनिर्दिष्ट मामले" में कर निर्धारण कार्रवाई करने में एनएफएसी और उसके अधीन इकाइयों की भूमिका का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अधिकारिता निर्धारण अधिकारी का किसी "विशिष्ट कर निर्धारिती" पर कोई अधिकारिता नहीं होगी।

5. आयकर अधिनियम के अध्याय 14 के तहत निर्धारण प्रक्रिया की कानूनी योजना याचिकाकर्ता-कंपनी को पर्याप्त उपचार प्रदान करती है। धारा 147 के तहत, कर निर्धारण अधिकारी विधि के अनुसार ऐसे अनुज्ञेय निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकता है या अवक्षयण भत्ते या किसी अन्य भत्ते या कटौती के नुकसान की धाराओं 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन पुनर्गणना कर सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 इस प्रकार है:-

> **“147.** यदि किसी कर निर्धारिती के मामले में कोई आय, जो कर से बच रही थी, किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है, तो कर निर्धारण अधिकारी, धाराओं 148 से 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए (जिसे इसके बाद इस धारा में और धारा 148 से 153 में सुसंगत कर निर्धारण वर्ष कहा गया है) ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है या नुकसान या अवक्षयण भत्ते या किसी अन्य भत्ते या कटौती की पुनर्गणना कर सकता है।
>
> स्पष्टीकरण: इस धारा के तहत कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना के प्रयोजन के लिए, कर निर्धारण अधिकारी किसी भी मुद्दे के संबंध में आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है, जो निर्धारण से बच गया है, और इस तरह के मुद्दे इस धारा के तहत कार्रवाई के दौरान बाद में उसके ध्यान में आते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि धारा 148 ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है)।

6. धारा 147 के अंतर्गत उपबंध राजस्व के हितों की रक्षा के लिए हैं क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने या हानि या अवक्षयण भत्ता या

ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए किसी अन्य भत्ते या कटौती की पुनर्गणना करने की शक्ति होगी यदि कर योग्य कोई आय किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर से बच गई हो। धारा 148 में यह अधिदिष्ट किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी धारा 147 के अंतर्गत कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना करने से पहले, यदि आवश्यक हो, तो धारा 148ए के खंड (घ) के अंतर्गत पारित आदेश की एक प्रति के साथ निर्धारिती को एक नोटिस देगा। हालांकि, धारा 148 का परंतुक उसके तहत प्रदान की गई शर्तों को पूरा करने के अलावा कार्रवाई करने पर रोक लगाता है। धारा 148 का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि कोई भी नोटिस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि कर निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना न हो जिससे यह पता चले कि कर प्रभार्य आय संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण से बच गई है और कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा नोटिस जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो। धारा 148 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए एक और निर्बंधन है और वह धारा 149 के तहत प्रदान किया गया है। धारा 149 के अंतर्गत एक परिसीमा प्रदान की गई है कि यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष बीत चुके हैं, तो प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि मामला खंड (ख) के अंतर्गत न आता हो। खंड (ख) के तहत आवश्यकता, जो प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष की अवधि से आगे लेकिन दस वर्ष के भीतर नोटिस जारी करने की अनुमति देती है, यह है कि निर्धारण अधिकारी के कब्जे में खाते की बही या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य होने चाहिए जो यह प्रकट करते हों कि संपत्ति के रूप में कुछ आय जो कर योग्य है, उस वर्ष के लिए पचास लाख रुपये या उससे अधिक की है या होने की संभावना है।

7. स्पष्टतः, आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी को धारा 148ए(बी) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करके कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार होगा। यह सर्वविदित है कि रिट न्यायालय सामान्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, जहाँ आरोप-ज्ञापन जारी किया जाता है या किसी साधारण नोटिस को चुनौती दी जाती है। "भारत संघ एवं अन्य बनाम कुनिसेट्टी सत्यनारायण" (2006) 12 एससीसी 28 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"13.** इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से यह सुस्थापित है कि सामान्यतः आरोप-पत्र या कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कोई रिट नहीं होती है, जैसे कि अधिशाषी अभियंता, बिहार राज्य आवासन मंडल बनाम रमेश कुमार सिंह, विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम गौस, उलगप्पा बनाम संभागीय आयुक्त, मैसूर, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा, इत्यादि।
>
> **14**. वह कारण जिसके लिए सामान्यतः केवल कारण बताओ नोटिस या आरोप-पत्र के विरुद्ध रिट याचिका को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, यह है कि उस चरण में रिट याचिका को समयपूर्व माना जा सकता है। केवल आरोप-पत्र या कारण बताओ नोटिस किसी भी वाद-कारण को उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि यह किसी प्रतिकूल आदेश के समान नहीं है जो किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता हो, जब तक कि इसे ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी न किया गया हो जिसे ऐसा करने की अधिकारिता न हो। यह पूरी तरह से संभव है कि कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद या जाँच करने के बाद संबंधित प्राधिकारी कार्रवाई को समाप्त कर सकता है और/या यह मान सकता है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जब किसी पक्ष के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है, तब रिट याचिका होती है। केवल कारण बताओ नोटिस या आरोप-पत्र से किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। यह केवल तभी होता है जब ऐसा अंतिम आदेश जिसमें किसी पर दंड अधिरोपित करते हुए या अन्यथा किसी पक्ष को प्रतिकूल रूप से

प्रभावित करते हुए पारित किया जाता है, तभी उक्त पक्षकार के बारे में कहा जा सकता है कि उसे कोई शिकायत है।

15. रिट अधिकारिता वैवेकिक अधिकारिता है और इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत इस तरह के विवेक का प्रयोग सामान्यतः कारण बताओ नोटिस या आरोप-पत्र को अभिखंडित करके नहीं किया जाना चाहिए।

16. निस्संदेह, कुछ अत्यंत विरले और आपवादिक मामलों में, उच्च न्यायालय किसी आरोप-पत्र या कारण बताओ नोटिस को अभिखंडित कर सकता है यदि वह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया जाता है या किसी अन्य कारण से, यदि वह पूरी तरह से अवैध है। हालाँकि, सामान्यतः उच्च न्यायालय को ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

8. याचिकाकर्ता-कंपनी का मुख्य आधार यह है कि मेसर्स एससीएफएसएमपीएल के साथ उसका संव्यवहार उसके रिटर्न में परिलक्षित होता है और इसलिए, यह मानने का आधार ही गलत है कि उक्त आय निर्धारण से बच गई। याचिकाकर्ता-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकुल खुराना द्वारा किया गया निवेदन यह है कि केवल इस आरोप के आधार पर कि मेसर्स एससीएफएसएमपीएल एक शेल कंपनी है, याचिकाकर्ता-कंपनी के विरुद्ध धारा 148ए(बी) के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था और कर निर्धारण अधिकारी ने इस मामले में केवल इस संदेह के आधार पर कार्रवाई की कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने बनावटी संव्यवहार किया है। इस दलील का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मेसर्स एससीएफएसएमपीएल एक सूचीबद्ध कंपनी, अर्थात्, पैसिफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक स्टेप डाउन सहायक कंपनी है और भूमि के बदले अग्रिम के रूप में विवादित धन का संव्यवहार बैंकिंग चैनल के माध्यम से याचिकाकर्ता-कंपनी के पास आया था। इसलिए, यह दलील दी जाती है कि कर निर्धारण अधिकारी के पास याचिकाकर्ता-कंपनी के विरुद्ध पुनर्निर्धारण कार्रवाई शुरू करने

के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था और वह कानून में अधिकथित प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा।

9. याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा दाखिल की गई आपत्ति पर एक नजर डालने से, यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने मुख्य रूप से तकनीकी आपत्तियाँ उठाईं और अपने लेखा सम्परीक्षित खाते, बैंक विवरण आदि तथा मेसर्स एससीएफएसएमपीएल के धारा 139(3) के तहत निर्धारण आदेश सहित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा दायर आपत्ति में मेसर्स सृजन सीमेंट समूह के विरुद्ध किए गए सर्वेक्षण का संदर्भ है। मेसर्स सृजन सीमेंट समूह के विरुद्ध इस तरह की तलाशी और पूछताछ का विवरण याचिकाकर्ता कंपनी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। विधि में यह भी कोई अपेक्षा नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी उन कारणों को प्रकट करता, जिनके लिए मैसर्स एससीएफएसएमपीएल को एक संदिग्ध शेल कंपनी माना गया है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने अपने और मैसर्स एससीएफएसएमपीएल के संपरीक्षित वित्तीय विवरण, बही-खाते, कर-निर्धारण आदेश, बैंक विवरण इत्यादि प्रस्तुत किए, किंतु वह इसके द्वारा ली गई तथाकथित अग्रिम राशि के संव्यवहार को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके द्वारा निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत की गई आय की संगणना से यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी को व्यापार या पेशे से 38,580/- रुपये की ऋणात्मक आय थी। प्रासंगिक रूप से, आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत दाखिल किए गए रिटर्न में दर्शाई गई मैसर्स एससीएफएसएमपीएल की कुल आय केवल 14,89,670/- रुपये थी।

10. हमारी राय में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाई गई यह प्रथम दृष्टया राय कि कोई विशिष्ट कर योग्य आय निर्धारण से बच गई है, केवल इस आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही दरकिनार नहीं की जा सकती कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मैसर्स एससीएफएसएमपीएल के कर-निर्धारण आदेश सहित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। 16 अप्रैल 2024 के आदेश में, कर निर्धारण अधिकारी ने मेसर्स एससीएफएसएमपीएल को एक शेल कंपनी के रूप में दर्ज किया है और विभिन्न संस्थाओं को सीधे या मध्यवर्ती कंपनियों के माध्यम से समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करने में लगी हुई है। उक्त आदेश में, कर निर्धारण अधिकारी ने प्रथम दृष्टया राय अभिलिखित की कि याचिकाकर्ता-कंपनी उन लाभार्थियों में से एक है, जिन्होंने 15 करोड़ और 72 लाख रुपये की समायोजन प्रविष्टि की थी। कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 148 ए (डी) के अंतर्गत आदेश पारित किया :

> **"6.** मैंने कर निर्धारिती के लिखित तर्कों तथा मामले के तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और मेरी टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-
>
> **(i)** विभाग के साथ सीआरयू/वीआरयू संव्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत इनसाइट पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, धारा 148ए(बी) के तहत नोटिस जारी किया गया था और उपर्युक्त नोटिस के साथ निर्धारिती को सभी जानकारी प्रदान की गई थी, इसलिए निर्धारिती को धारा 148ए(बी) के तहत नोटिस समयानुसार और विधिवत जारी किया गया था। 15,72,00,000/- रुपये की समायोजन प्रविष्टि के संव्यवहार के संबंध में, निर्धारिती ने उत्तर दिया कि निर्धारिती ने विचाराधीन वर्ष के दौरान मैसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड से भूमि के एवज में 16,22,00,000/- रुपये का अग्रिम लिया है, जिसका रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरणों में विधिवत प्रकटीकरण किया गया है। निर्धारिती का उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण कार्रवाई के अनुक्रम में यह पाया गया कि मैसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी है और प्रत्यक्ष रूप से या मध्यवर्ती कंपनियों के माध्यम

से विभिन्न संस्थाओं को समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करने में संलग्न है। निर्धारिती उन लाभार्थियों में से एक है जिसने 15,72,00,000/- रुपये की समायोजन प्रविष्टि की थी, अतः निर्धारिती का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती वर्ष के दौरान मेसर्स साहा कलर्ड एंड फ्लेवर स्प्रिट मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 15,72,00,000/- रुपये के लिए किए गए समायोजन प्रविष्टि की विशुद्धता साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है और उक्त संव्यवहार अस्पष्ट रहा।

(ii) इसके अलावा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के श्री विवेक सरन अग्रवाल बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट [2023] 157 taxmann.com 80 दिनांक 03/10/2023 में दी गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारिती द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 968/2023 को निम्नानुसार खारिज कर दिया है :

> "अधिनियम धारा 148ए(डी) के तहत निर्णय पारित करने के चरण में कर निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के गुणावगुण पर किसी विस्तृत निर्णय को अनुध्यात नहीं करता है। इस प्रक्रम पर कानून में जानकारी की शुद्धता या अन्यथा पर कोई अन्य आगे की जांच या न्यायनिर्णयन न शामिल करने का एक विशिष्ट उद्देश्य है। इसका कारण स्पष्ट है। अधिनियम की योजना के तहत, नोटिस जारी करने के लिए धारा 148 के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, जिसके पश्चात् कर निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट तरीके से यह निर्धारित करना होता है कि क्या आय कर निर्धारण से बच गई है और सभी अनुज्ञेय आधारों पर, निर्धारिती का बचाव ऐसे स्तर पर प्रस्तुत किए जाने के लिए खुला रहता है। पुनर्निर्धारण के लिए धारा 147 के तहत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया अंतिम अवधारण अन्यथा धारा 246ए के तहत अपील के अधीन है। इस प्रकार, धारा 148ए से संबंधित जानकारी के गुणावगुण धारा 148 के तहत नोटिस के माध्यम से शुरू की गई पुनर्निर्धारण कार्रवाई के अधीन बने रहते हैं। यही कारण है कि, जिन मुद्दों के लिए

पुनर्निर्धारण के चरण में अवधारण की आवश्यकता होती है, पुनर्निर्धारण कार्रवाई और जिसके संबंध में विभागीय उपाय अन्यथा उपलब्ध हैं, उन्हें धारा 148 ए (डी) के तहत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्णय के चरण में अवधारित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 148 ए (डी) के तहत निर्णय की परिधि सूचना के अस्तित्व या अनुपस्थिति तक सीमित है जो यह सुझाव देती है कि कर योग्य आय निर्धारण से बच गई है।"

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय पर विचार करते हुए, एओ ने इस मामले में अधिनियम की धारा 148 ए के तहत कार्यवाही शुरू करने का सही निर्णय लिया है।

6. इसके पश्चात्, निर्धारिती को 12.04.2024 को एक और अवसर दिया गया, जिसमें 15/04/2024 को सुबह 11:00 बजे तक जवाब देने की तिथि निर्धारित की गई, जो उसी दिन अर्थात 12.04.2024 को आईटीआर पर दी गई ईमेल आईडी के अनुसार निर्धारिती को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया गया। उक्त नोटिस के माध्यम से, निर्धारिती को उपर्युक्त संव्यवहार के संबंध में पुनः विवरण और समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

7. मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि निर्धारिती ने इस वर्ष के दौरान 15,72,00,000/- रुपये की हद तक आय कर-निर्धारण से बचा ली है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अर्थ के अंतर्गत एक छूटा हुआ निर्धारण है। अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी/आंकड़े/सामग्री के आधार पर, मेरे पास ऐसी जानकारी है जो यह संकेत देती है कि वर्ष के दौरान निर्धारिती ने आय कर-निर्धारण से बचा ली है। अतः, गीतांजलि इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, AADCG4874E, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

11. धारा 148ए(डी) के तहत पारित आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी ने यह आदेश उधार ली गई संतुष्टि पर पारित किया

है, क्योंकि यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है कि याचिकाकर्ता-कंपनी के मैसर्स एससीएफएसएमपीएल के साथ अनहोली अलायंस हैं। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार न करने के संबंध में, हम यह मानने के लिए प्रवृत्त है कि कानून में यह आवश्यकता नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत आदेश पारित करने के चरण में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों की पूरी बारीकी से जांच में शामिल होना चाहिए। जब उपर्युक्त उपबंधों के अधीन एक आदेश पारित किया जाता है, तो आयकर से बचने के मामलों में आयकर अधिनियम के तहत अनुध्यात जांच का चरण केवल एक मध्यवर्ती प्रक्रम होता है और निर्धारिती को कार्रवाई में भाग लेने और ऐसी सभी अभिवचनों को करने का अवसर मिलेगा जो कानून में उसके लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एक अर्द्ध-न्यायिक कार्रवाई में यह आवश्यक नहीं है कि कानूनी प्राधिकारी मध्यवर्ती प्रक्रम में कर निर्धारिती के प्रत्येक दृष्टिकोण पर बिंदुवार निष्कर्ष को प्रतिबिंबित और अभिलिखित करे। नैसर्गिक न्याय की आवश्यकता, मामले के तथ्यों के साथ-साथ कानूनी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाली अधिकारिता और कर्तव्य पर निर्भर करेगी। कि नैसर्गिक न्याय के नियम केवल कोरी वस्तुएं नहीं हैं और उन्हें किसी भी कठोर सांचे में नहीं ढाला जा सकता है। न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने एक निष्पक्ष निर्णय लिया है और, यदि ऐसा है, तो जिस आदेश के विरुद्ध शिकायत की गई है उसके रूप और विशेषताएँ बहुत अधिक सुसंगत नहीं हो सकती हैं। "कॉम्पीटीशन कमिशन ऑफ इंडिया बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. व अन्य" 2010 (10) एससीसी 744 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> **"....85.** जहाँ कहीं भी इस न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की शिकायत से संबंधित मामलों पर विचार किया है, इसने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है कि ऐसे सिद्धांतों को किस सीमा तक लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, इनका लागू होना अधिनियम के तहत प्राधिकारी द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इस संबंध में निर्णय, वास्तव में, किसी दिए गए मामले में पक्षों द्वारा उठाए जाने वाले विरोधी तर्कों का अचूक उपाय है। केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास [(2003) 4 एससीसी 557: 2003 एससीसी (एल एंड एस) 507] में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।"

12. आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता प्रथम दृष्टया इस दृष्टिकोण पर लागू होती है कि धारा 148ए के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद मामले को पुनः खोलने के लिए कुछ सामग्री मौजूद है। कर निर्धारण अधिकारी के पास सामग्री की पर्याप्तता को धारा 148ए(बी) के तहत नोटिस जारी करने या धारा 148ए(डी) के तहत आदेश देने के प्रक्रम में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि निर्धारिती ऐसा दर्शित करने के लिए स्वतंत्र है कि यह मानने के लिए कोई वैध कारण नहीं है कि कोई विशिष्ट आय निर्धारण से छूट गई है।। "आयकर आयुक्त एवं अन्य बनाम छबील दास अग्रवाल" 2014 (1) एससीसी 603 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयकर अधिनियम कर के निर्धारण/पुनर्निर्धारण, शास्ति के अधिरोपण और कानूनी प्राधिकार द्वारा पारित किसी भी अनुचित आदेश के संबंध में राहत अभिप्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण तंत्र का उपबंध करता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अधिनियमित होने से बहुत पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने "लछमन दास नायर बनाम हंस राज पुरी, आईटीओ" मामले में आयकर अधिकारी की शक्तियों को स्पष्ट किया था, जो एआईआर 1953 पी एंड एच 55 में रिपोर्ट किया गया था, इस प्रकार:-

"अधिनियम की योजना, अधिनियम की धारा 34 में प्रयुक्त शब्दों तथा ऊपर संदर्भित किए गए विभिन्न मामलों का परीक्षण यह दर्शाता है कि विधायिका ने तथ्यों और विधि के अवधारण का कार्य आयकर अधिकारियों को सौंप दिया है। अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष तंत्र स्थापित किया गया है "केवल जिसके उपयोग से" आयकर के प्रयोजनों के लिए कुल कर-निर्धारणीय आय निर्धारित की जानी है, और इस तंत्र के उपयोग के अतिरिक्त कर-निर्धारण पर प्रश्न उठाने की अधिकारिता अधिनियम की योजना के अनुरूप नहीं है। इसलिए, निर्धारिती को आयकर अधिकारी की कार्रवाई को रिट निषेधाज्ञा या परमादेश द्वारा चुनौती देने का अधिकार नहीं है।"

13. जबकि आयकर अधिनियम की योजना ऐसी है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "छबील दास अग्रवाल" मामले में एक पूर्ण संहिता माना गया है, हम 16 अप्रैल 2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। परिणामस्वरूप, 26 मार्च 2024 के कारण बताओ नोटिस को दी गई चुनौती भी विफल हो जाती है। हालाँकि, हमें इस स्तर पर यह इंगित करना चाहिए कि हमने राजस्व द्वारा स्थापित मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं किया है। हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि इस रिट याचिका को खारिज करने से याचिकाकर्ता-कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और कर निर्धारण अधिकारी कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ेगा और जहाँ भी आवश्यक होगा, याचिकाकर्ता-कंपनी को विश्वसनीय दस्तावेज़ उपलब्ध कराएगा।

14. डी.बी. सिविल रिट याचिका सं.16335/2024 खारिज की जाती है।

(संदीप शाह), जे **(श्री चन्द्रशेखर), जे**

44-अर्जुन/दिव्या टाक/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी